सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश

1250 तुलसी नगर भोपाल -462003

(Tel.No. 0755-2556916] E-mail - dir.socialjustice@mp.gov.in)

//आदेश//

भोपाल दिनांक 06 /12/2022

क्रमांक/3-262/नशाबंदी/2022-23/378 /अशासकीय संस्था- **पहल सामाजिक विकास संस्था टिमरनी 119/9, शास्त्री चौक, जिला-हरदा (म.प्र.)** को संचालनालय के पत्र क्रमांक/एफ 2-267/नशाबंदी/2013/98 दिनांक 04/04/2013 द्वारा नशाबंदी के प्रचार-प्रसार कार्य तथा सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों का संचालन करने हेतु प्रदाय विभागीय मान्यता निर्धारित शर्तो के अधीन प्रदान की गई थी।

अशासकीय संस्था द्वारा विभागीय मान्यता नियमों का पालन नही करने व भारत सरकार के Project Monitoring Unit (PMU) द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान संस्था में पाई गई अनियमितताओं के कारण संस्था को भारत सरकार से प्रदाय होने वाले अनुदान पर रोक पत्र क्र.DP-12-8/2020-DP-II दिनांक 14/12/2020 द्वारा रोक लगाई गई एवं संस्था को भारत सरकार से प्रदाय अनुदान मय ब्याज सहित बसूल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

संचालनालय के पत्र क्र./नशाबंदी/3-262/2022/274 दिनांक 13/09/2022 द्वारा नोटिस जारी कर संस्था को अपना पक्ष/जबाब जिला कलेक्टर हरदा के अभिमत सहित दिनांक 28/09/2022 तक चाहा गया था। उक्त संबंध में संस्था द्वारा जिला कलेक्टर हरदा को प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नही होने के कारण जिला कलेक्टर हरदा के पत्र क्रमांक/435/2022 दिनांक 09/11/2022 द्वारा संस्था की विभागीय मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा के आधार पर **अशासकीय संस्था- पहल सामाजिक विकास संस्था टिमरनी 119/9, शास्त्री चौक, जिला- हरदा (म.प्र.)** को नशाबंदी के क्षेत्र में कार्य करने प्रदाय विभागीय मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

(डॉ. ई.रमेश कुमार) 6/12

आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन

कल्याण मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/3-262/नशाबंदी/2022-23/379 भोपाल दिनांक 06 /12/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर जिला- **हरदा** (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण जिला- **हरदा** (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. अध्यक्ष/सचिव, अशासकीय संस्था- **अशासकीय संस्था- पहल सामाजिक विकास संस्था टिमरनी 119/9, शास्त्री चौक, जिला-हरदा (म.प्र.)** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।
6. संयक्त संचालक, (दि.स./समाज रक्षा) मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रोग्रामर, मुख्यालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

आयुक्त 6/12

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन

कल्याण मध्यप्रदेश